//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 154 / 2013

उनवान

इकरामुददीन पुत्र सवाई खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. आयशा पत्नी सवाई खां (तर्क)
2. इस्लामुददीन
3. निजामुददीन
4. मौ0 रफीक पि0 सवाई खां
5. संजीदा उर्फ लाली पुत्री सवाई खां
6. हमीदा पुत्री सवाई खां समस्त जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
7. गोपीलाल पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर
8. अल्लादीन पुत्र छोटू बक्श जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 3, 7 व 8 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
4 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री सौरभ सैठी
9 जरियें राज0 पैरोकार, 2 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :— 4.10.23

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	
2057 / 1866	4529	0.09	
	8654	0.59	
	8656	0.40	
	8747	1.1[illegible]	
132 / 139	8659 / 10537	0.27	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

	8752	0.43	
	8753	0.44	
	8967	0.60	
	8968	0.65	
	8971	0.34	
	8972	0.34	
	8973	0.29	

उपरोक्त आराजी संयुक्त पुश्तैनी कब्जे काश्त की है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 8967 व 8968 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 तथा खसरा नम्बर 8968 पर अल्लादीन खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का बराबर हक व हिस्सा निहित है। खाता संख्या 132/139 में वर्णित खसरा नमबर पर वादी पुश्तैनी समय से काबिज है। किन्तु उक्त आराजी पर वादी का नाम दर्ज नही हुआ है। जिस कारण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण दखलदांजी कर रहे है, अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित कर विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने व उसके वारिस पूर्व में रेकार्ड पर होने के कारण उसका नाम तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3, 7 व 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 132/139 की आराजी के खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। खसरा नमबर 8967 पूर्ण व खसरा नम्बर 8968 रकबा 0.65 में से 0.20 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा व खसरा नम्बर 8968 रकबा 0.65 में से 0.45 प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जरियें विक्रय पत्र क्रय किया है। क्रय दिनांक से क्रेतागण उक्त आराजी पर काबिज है। खाता संख्या 132/139 की आराजी पर वादी का कोई हक व अधिकार नही है। खाता संख्या 2057/1866 की आराजी का वर्षो पूर्व बंटवारा हो चुका है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अपने हिस्से अनुसार खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

-- वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?

-- वादी

3. आया वादग्रसत आराजी वादी की पुश्तैनी नही होने व वादी का वादग्रस्त आराजियात पर कोई हक अधिकार व कब्जा नही होने से वाद खारिज योग्य है ?

-- प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी [illegible] बयान दर्ज करवाये एवं राजस्व अभिलेख पेश किये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के [illegible] बंद की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध हाल जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 2057/1866 की आराजी संवाई खां पुत्र अल्लानूर के नाम खातेदारी दर्ज थी। संवाई खां की मृत्यु होने के कारण उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का बराबर हक व अधिकार निहित है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। खाता संख्या 2057/1866 में दर्ज आराजी का पूर्व में विभाजन होने के कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली में नही है। खाता संख्या 132/139 किता 8 रकबा 3.81 की आराजी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नमबर 8967 पूर्ण व खसरा नम्बर 8968 रकबा 0.65 में से 0.20 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा व खसरा नम्बर 8968 रकबा 0.65 में से 0.45 प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जरियें विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में क्रेता के नाम की जा चुकी है। वादी का कथन है कि खाता संख्या 132/139 की भूमि पुश्तैनी है। किन्तु पुश्तैनी भूमि के समर्थन में वादी द्वारा वंर्किग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी पेश नही की है। वादी द्वारा उक्त खाते की भूमि की खसरा गिरदावरी व फसली प्रस्तुत की है जिनके द्वारा भी आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सिद्व नही होती है। खातेदारी अधिकार के बिना वादी उक्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। खाता संख्या 132/139 की आराजी बाबत वाद में अंकित कथन सिद्व करने में वादी असफल रहा है। खाता संख्या 132/139 की आराजी पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। खाता संख्या 2057/1866 पर वादी सह खातेदार दर्ज हहे। अतः उक्त खाते पर विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन अनुसार खाता संख्या 132/139 की आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में वादी के पिता/पूर्वज के नाम दर्ज नही होने के कारण पुश्तैनी सिद्व नही होती है। वादी उक्त खाता संख्या की आराजी को पुश्तैनी सिद्व करने में असफल रहा है। खाता संख्या 2057/1866 की आराजी वादी की पुश्तैनी है जिस पर वादी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी खाता संख्या 2057/1866 की आराजी पर विधिवत विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है। तनकी संचया 3 आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4529/0.09, 8654/0.59, 8656/0.40 व 8747/1.11 किता 4 रकबा 2.19 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर समस्त सह खातेदार की विधिवत उपस्थिति में भूमि का विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेंगे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

इकरामुदीन बनाम आयशा

दावा बाबत :— 53, 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 54/2013
पेश करने की दिनांक — 13.03.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक महेश सुकरिया मुद्दई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4529/0.09, 8654/0.59, 8656/0.40 व 8747/1.11 किता 4 रकबा 2.19 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर समस्त सह खातेदार की विधिवत उपस्थिति में भूमि का विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 10 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested